

प्राचार्य / संचालक
एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट / खसरा नं.-162/2, 163/3, 141/3,
प्लॉट नं.-149/3, ग्राम छौंदा, पो. मुरैना
जिला-मुरैना (म.प्र.)-476001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 07.02.2014 एवं 03.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ मात्र एक छायाचित्र संलग्न है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त छायाचित्र संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ का है अथवा संचालक मण्डल का। उक्त छायाचित्र में शिक्षको अथवा संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के नाम एवं पद भी अंकित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर संस्था के संचालक मण्डल एवं संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद युक्त संस्था भवन के समक्ष लिये गये पृथक-पृथक छायाचित्र दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

पृष्ठांकन क्र./630/ / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551050, 2761567 फोन - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 642 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

प्राचार्य/संचालक
विकास एज्यूकेशन एण्ड इन्वायरमेंट अकादमी,
प्लॉट नं.-114, गली नं.-75, गाम गालूपुरा,
पो. आई.टी.एम. सिंधौली, तह. वासिंदर
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 17.02.2014 एवं 10.03.2014


विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-


1. आवेदन पत्र के साथ शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं किन्तु छाया चित्र में शिक्षकों के नाम एवं पद अंकित नहीं है, संचालक मण्डल का छायाचित्र भी संलग्न नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विन्दु क्र.-01 में उल्लेखित कमी की पूर्ति कर संस्था भवन के सामने से लिये गये छाया चित्र, जिसमें सम्पूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वार स्पष्ट दिखाई दे एवं उक्त छायाचित्रों की पृष्ठ भूमि में संस्था का संचालक मण्डल एवं संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद भी स्पष्ट रूप से अंकित ह, दिनांक 11.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। तकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अग्रसार माना जावेगा।

पृष्ठांकन क्र./643/ डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 29/03/2014


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
 फोन नं. - (0755) 2551499, 2551497 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

O/C COPY

क्रमांक / 648 / डी.एड.सेल / 2014
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/03/2014


प्राचार्य / संचालक
 वी.के.एस. एज्यूकेशन टीचर ट्रेनिंग सेन्टर,
 प्लॉट नं.-79/1 के एण्ड 79/1 जी,
 गली नं. मुरार, ग्राम राई,
 पो. ऑफिस विजोली, मुरार चितौरा,
 जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474006

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
 संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तरण लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति में प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के हस्ताक्षर एवं शील स्पष्ट नहीं हैं। अतः लेख है कि संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल प्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आवेदन पत्र के साथ शिक्षक गणों का छायाचित्र संलग्न नहीं है। अतः लेख है कि बिन्दु क्र.-01 अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों का संस्था भवन के समक्ष लिया गया छायाचित्र जिसमें शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं एवं पद अंकित हों, मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र.-01 एवं 02 में उल्लेखित कमी की पूर्ति कर दिनांक 11.04.2013 तक वांछित दस्तावेज अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



 सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
 भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

पृष्ठांकन क्र./649/ डी.एड.सेल/2014
 प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


 सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
 भोपाल



क्रमांक / 618 / डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक

शिखा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,

प्लॉट / खसरा नं.-62 / 1 गिन ग्राम पो. पनिहार,

तह. ग्वालियर

जिला ग्वालियर (म.प्र.)-474001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।


संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा शासकीय शिक्षा स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संदेहास्पद प्रतीत होती है।
2. संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ का भवन के समक्ष लिया गया छायाचित्र संलग्न नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के छायाचित्रों को शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापित करवाकर सत्यापित सूची की मूल प्रति एवं बिन्दु क्र.-02 में उल्लेखानुसार संस्थान में नियुक्त स्टाफ का भवन के समक्ष नाम व पद नाम सहित दर्शाया गया छायाचित्र दिनांक 05.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

पृष्ठांकन क्र. / 619 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्रीय समिति, मानस भवन, श्यामजा हिल्स भोपाल की ओर संस्था द्वारा मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551650, 2761561 फॅक्स - (0755) 2551499, 252061

क्रमांक / 646 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

प्राचार्य / संचालक
श्री राम राजा सरकार इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
प्लॉट नं., हल्का नं.-27, स्ट्रीट नं. एन.एच.-75,
ग्राम डगरई, पो. लराईता, तह. दतिया
जिला-दतिया (म.प्र.)-475661

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा मात्र एक छायाचित्र संलग्न किया गया है जिसमें भवन का नाम प्रदर्शित नहीं है एवं उक्त छाया चित्र से स्पष्ट नहीं होता है कि यह संचालक मण्डल का है अथवा शिक्षक गणों का।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र.-01 में उल्लेखित कमी की पूर्ति कर संस्था भवन के सामने से लिये गये छायाचित्र, जिसमें सम्पूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वारा स्पष्ट दिखाई दे एवं उक्त छायाचित्रों की पृष्ठ भूमि में संस्था का संचालक मण्डल एवं संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद भी स्पष्ट रूप से अंकित हों, दिनांक 11.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जान पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

पृष्ठांकन क्र./647/ डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.म.डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

क्रमांक / 638 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक २७ / 03 / 2014


प्राचार्य / संचालक
अम्बिका इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-198, ग्राम नोहरी खुर्द पो. शिवपुरी,
तह. व जिला शिवपुरी (म.प्र.)-473511

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 03.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 01.08.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु संस्था द्वारा उक्त चालान सत्र 2013-14 हेतु प्रस्तुत किया गया था। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। किन्तु उक्त छायाचित्र में संस्था का नाम अम्बिका कॉलेज, कम्प्यूटर एण्ड मैनेजमेंट एज्युकेशन अंकित है। जबकि एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को अम्बिका इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन के नाम से मान्यता दी गई है। अतः लेख है कि संस्था के संचालक मण्डल एवं संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख करते हुये संस्था भवन के समक्ष लिया गया छायाचित्र जिसमें संस्था का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित हो, मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर वांछित राशि का चालान एवं उपरोक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक २७ / 03 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 639 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वािनयर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 622 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्राचार्य / संचालक
आदर्श जीवन महाविद्यालय,
प्लॉट / खसरा नं.-2254 / 1,
ग्राम व पो. अमोल (पाटा), तह. करैरा
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)-473551

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 28.10.2013 एवं 07.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. मण्डल द्वारा जारी संबद्धता संबंधी नवीन निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 के साथ जारी संबद्धता संबंधी नवीन आवेदन पत्र के प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 16.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 388 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रूपये 15,000/-के चालन की मूलप्रति दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सकें। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

पृष्ठांकन क्र./623 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : कार्यालय - (0766) 2661060, 2761067 फीक्स - (0766) 2661499, 2662061

O/C COPY

क्रमांक / 650 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/03/2014

प्राचार्य/संचालक
श्रीनारायण कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-244, ग्राम शिक्षा नगर पोरसा,
पो. व तह. पोरसा,
जिला-मुरैना (म.प्र.)-476115

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की श्रुतिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 17.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 386 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के संस्था भवन के समक्ष किये गये छायाचित्रों में संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक कर्मचारियों के नाम एवं पद का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/-के चालन की मूलप्रति दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/03/2014

पृष्ठांकन क्र./651 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 616 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्राचार्य / संचालक
जीनियस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
बडफरा अम्बाह प्लाट खसरा नम्बर 568, 804
ग्राम बडफरा पोस्ट एवं तहसील अम्बाह
जिला मुरैना (म.प्र.)-476111

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमियों की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 08.01.2014 एवं 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 382 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क के अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। किन्तु संस्था द्वारा संलग्न उक्त छायाचित्रों में संस्था के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमियों की पूर्ति कर संबंधित दस्तावेज दिनांक 05.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

पृष्ठांकन क्र. / 617 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल



क्रमांक / 624 / डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
इन्दिरा इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
प्लॉट नं.-640, ग्राम सुनहरा,
पो. सबलगढ़, मुरैना
जिला-मुरैना (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की सत्यापित सूची विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संस्था में नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं कार्यालयीन स्टाफ की एस.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है। उक्तानुसार संलग्न छायाप्रति से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि उक्त सूची में दर्ज कर्मचारियों के छायाचित्र शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित न होकर पृथक् से सूची में चरपा किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के छायाचित्रों पर शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापित करवाकर सत्यापित सूची की मूल प्रति दिनांक 02.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्तानुसार सूची प्रस्तुत न किये जाने पर आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



अति.सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 625 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



अति.सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 612 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्राचार्य / संचालक
शारदा देवी चतुर्वेदी एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट,
प्लॉट नं.-948 से 951, एन.एच.-92,
भिण्ड, पो. तह. भिण्ड
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की नुतिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 06.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के भवन के सागने से संस्था में कार्यरत शिक्षकों का नाम एवं पद नाम सहित छायाचित्र संलग्न नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम सहित संस्था भवन के समक्ष लिया गया छायाचित्र दिनांक 05.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./613 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
फोन नं. - (0755) 2551650, 2761567 फक्स - (0755) 2661499, 2662081

O/C COPY

क्रमांक / 644 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

प्राचार्य / संचालक
रात छविरामदास शिक्षा महाविद्यालय,
प्लॉट नं.-506, 799, पोरसा रोड,
ग्राम व पो. अहरोली काली, तह. अटेर,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477111

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की चुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आगेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-
1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 26.08.2011 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूरे में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2011-12 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 05.03.2012 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रूपये 15,000/-के चालान की मूलप्रति दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त दायित्वों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

पृष्ठांकन क्र. 1645 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय भा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 29/03/2014

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551650, 2 61567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

0/c copy

क्रमांक/654/डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/03/2014

प्राचार्य/संचालक

जगतगुरु शंकराचार्य डी.एड. कॉलेज,
खसरा नं.-3611, प्लॉट नं.-3611/1, 3611/2, 3611/3,
मेन रोड, ग्राम जगराम नगर, पो. भिण्ड,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 03.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आपकी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में समिति का नाम- भवानी महिला कल्याण समिति, 1 ए, अशोका गार्डन भोपाल दर्ज कर, तदसंबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। किन्तु एन. सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जारी मान्यता आदेश दिनांक 27.09.2013 में समिति का नाम भवानी महिला कल्याण समिति, प्लॉट नं.-3611 मेन रोड, बाई पास भिण्ड जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001 अंकित किया गया है। उक्त विरोधाभास के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।
2. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- का चालान संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया था। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। अतः अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
3. संस्था भवन के समक्ष संचालक मण्डल का नाम एवं पद युक्त छायाचित्र संलग्न नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/-के चालान की मूलप्रति दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/03/2014

पृष्ठांकन क्र./655/ डी.एड.सेल/2014

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर उक्त बिन्दु क्र. -01 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त संबंध में स्पष्ट जानकारी से मण्डल को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

क्रमांक / 636 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,


भोपाल, दिनांक 27/03/2014

प्राचार्य/संचालक
मॉ शारदा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट / खसरा नं.-62/1, मिन,
प्लॉट नं.-62/1 मिन, ग्राम व पो. पनिहार, तह. ग्वालियर
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. कार्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख करते हुये संस्था भवन के समक्ष दिया गया छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित कमी की पूर्ति कर वांछित छायाचित्र दिनांक 09.04.2014 तक अगिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पष्ठांकन क्र. / 636 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
 फोन (0766) 2651650, 2761167 फैक्स (0766) 2651499, 2652097

क्रमांक / 640 / डी.एड.सेल / 2014
 प्रति.

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

प्राचार्य / संचालक
 महर्षि वेद व्यास महाविद्यालय,
 जंगीपुर, पो. पिछौर,
 जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
 संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं -

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 15.09.2012 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2012-13 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 907 दिनांक 24.10.2012 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः संबद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित स्टाफ सूची की छाया प्रति संलग्न की गई है। किन्तु उक्त सूची प्राचार्य द्वारा दिनांक 14.08.2012 को प्रमाणित की गई थी। अतः प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की सूची पुनः सत्यापन कराने के उपरान्त मूल प्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। संस्था द्वारा मात्र एक छायाचित्र संलग्न किया गया है जिस पर संस्था का नाम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अतः लेख है कि संस्था के संचालक मण्डल एवं संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख करते हुये संस्था भवन के समक्ष लिया गया छायाचित्र जिसमें संस्था का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित हो, मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अंतर की राशि रुपये 15,000/- के चालान की मूलप्रति एवं विन्दु क्र.-02 एवं 03 अनुसार वांछित दस्तावेज दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समग्र सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
 भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/03/2014

पृष्ठांकन क्र. 1641 / डी.एड.सेल / 2014
 प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, राशि मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
 भोपाल